# प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून, 2005 को अस्तित्व में आया। अधिनियम की मूल भावना सरकारी कामकाज में गोपनीयता और लालफीताशाही की परम्परा को त्यागकर पारदर्शिता और जवाबदेही की नई कार्यशैली को बढ़ावा देना है। इस कानून में सूचना मांगना जनता का अधिकाार है और उसका अनुपालन करना सरकारी अधिकारी का कर्त्तव्य। साथ ही सभी विभागों का दायित्व है कि वे मैनुअल बना कर जनता की सूचना के लिये प्रदर्शित करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 (1) (ख) के अन्तर्गत राजभवन, उत्तराखण्ड द्वारा भी सूचना आयोग द्वारा निर्धारित–17 बिन्दुओं पर मैनुअल को पुस्तक रूप में दो भागों में प्रकाशित किया गया है, जिसमें प्रथम भाग में मैनुअल के 1 से 4 तथा 6 से 17 बिन्दु हैं। इन मैनुअलों के बिन्दुओं में राजभवन के कार्यों व कार्य प्रणाली का विवरण प्रकाशित किया गया है, जिससे राजभवन की वेबसाइट www.governoruk.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि संकलन/मार्गदर्शिका जनसाधारण एवं राजभवन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिज्ञासुओं तथा शोधकर्त्ताओं के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी तथा संवैधानिक प्रक्रिया के समय पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी।

स्थान : देहरादून

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल।